प्रेस नोट दिनांक 04.10.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू क्षेत्र में छेड़खानी एवं हत्या का प्रयास के प्रकरण में पुलिस की सक्रियता से आरोपी प्रभात कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया

प्रतापगढ़।
दिनांक 03.10.2025 को वादिनी ग्राम तिवारीपुर, थाना अंतु अपने खेत में पानी लगाने जा रही थी, प्रभात सुत राम नारायण ने उसे रास्ते में रोककर अश्लील हरकत की और विरोध करने पर लात-घूंसों से मारपीट की। आरोपी ने धारदार हथियार से वादिनी के शरीर के कई हिस्सों पर हमला किया था, जिससे गंभीर चोटें आईं, वादिनी के छोटे बच्चे को भी पीटा तथा धमकाया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 331/25 धारा 126 (2),75,115 (2), 352,351 (2), 109 (1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मतगंजन मिश्रा मय हमराह का0 नागेन्द्र यादव, का0 बौद्ध प्रकाश, म0का0 सर्वेश धनगर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 331/25 धारा 126 (2),75,115 (2), 352,351 (2), 109 (1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त प्रभात कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामनारायण वर्मा निवासी ग्राम तिवापुर सण्डवा चन्दिका थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष को थाना अंतू क्षेत्रातंर्गत सण्डवा चन्दिका देवी मंदिर के पीछे जंगल में तिवारीपुर जाने वाले कच्ची सड़क के पास गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. प्रभात कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामनारायण वर्मा निवासी ग्राम तिवापुर सण्डवा चन्दिका थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 मतगंजन मिश्रा मय हमराह का0 नागेन्द्र यादव, का0 बौद्ध प्रकाश, म0का0 सर्वेश धनगर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देश पर लूट की घटना का सफल अनावरण, वादिनी की बहू द्वारा किए गए अपराध में अभियुक्ता गिरफ्तार, गहने बरामद

वादिनी की बहू द्वारा ही लूट की घटना का सृजन, थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्ता गिरफ्तार, साथ ही चोरी हुए आभूषण बरामद किये-

प्रतापगढ़।
वादिनी द्वारा थाना पट्टी पर तहरीर दी गई थी कि दिनांक 29.09.2025 को दोपहर लगभग 01:30 बजे, वादिनी की छोटी बहू जया शर्मा, पत्नी रंजीत शर्मा को उनके पुराने घर पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बंधक बनाया गया तथा घर में रखे उनके बड़े बेटे के सोने के आभूषण लूट कर लिए गए। बंधक बनाये जाने के समय जया शर्मा अपने नाक और कान में सोने के आभूषण पहने हुए थीं, जिन्हें आरोपियों ने नहीं छीना।

प्रारंभिक सूचना में घटना में तीन व्यक्तियों की संलिप्तता बताई गई थी, किन्तु बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह कार्य केवल दो व्यक्तियों द्वारा किया गया।

इस संबंध में थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 292/2025, धारा 309(4) बीएनएस के तहत 02 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित टीमों को सख्त निर्देशित किया गया। मौके पर उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था।

स्थानीय पुलिस एवं गठित टीमों की सक्रियता के परिणामस्वरूप आज दिनांक 04.10.2025 को 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम इस प्रकरण के शेष आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु तत्परता से कार्य कर रही है।

प्रकरण में की गई विवेचना, जिसमें वादी के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों का संकलन शामिल है, से यह स्पष्ट हुआ कि घटना में लूट की कोई घटना नहीं हुई। प्रारंभिक आरोपों के विपरीत केवल बक्से का ताला तोड़कर चोरी की घटना हुई है।

इस आधार पर, संबंधित अभियोग में धारा 309(4) बीएनएस के स्थान पर धारा 331(3) बीएनएस में संशोधन किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अ पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का0 अभिनव नारायण सिंह, म0का0 अंजू यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना परॉ मु0अ0सं0 292/25 धारा 331 (3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्ता जया शर्मा पत्नी रंजीत शर्मा नि0 बहुता थाना पट्टी प्रतापगढ उम्र करीब 35 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रातंर्गत भरोखन नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्ता के कब्जे से 01 अदद मंगलसूत्र बड़ा (पीली धातु), 01 अदद मंगलसूत्र छोटा (पीली धातु), 01 अदद झुमका एक कान (अदद पीली धातु), 01 अदद अंगूठी (पीली धातु), 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 01 जोडी छागल (सफेद धातु), 01 अदद बिछिया (सफेद धातु) बरामद किया गया है । जिसके संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्ता ने बताया कि मैने मोबाइल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चोरी की घटनाओं को होते हुए देखा जिसमें काले कपड़े पहने हुए लोग मुंह बोध कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे । मैं दिनांक 29/09/2025 को अपने पति और सास के जाने के बाद जेठ के कमरे मे रखे बक्सों का कब्जा तोड़कर अपनी जेठ का गहना चोरी कर लिया और लूट की झूठी अफवाह फैला दी और हल्ला गुहार मचाने लगी शोर सुन के गाव के तमाम लोग पुलिस के अधिकारी व कर्मचारीगण मौके पर आ गये । मेरी बातों से आश्वस्त होकर मेरी सास राजकली की तहरीर पर लूट का मुकदमा थाना पट्टी पर लिखा गया। अगले ही दिन मेरे जेठ और जेठानी गाजियाबाद से आ गए और तब से ही मेरे ऊपर शक कर रहे थे । मुझे लगा मेरे जेठ जेठानी को छुपाया हुआ गहना कहीं पर मिल ना जाए इसलिए मैं आज चोरी के गहनो को छुपाने जा रही थी कि आप लोगों ने पकड़ लिया पकड़ी गई ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

जया शर्मा पत्नी रंजीत शर्मा नि0 बहुता थाना पट्टी प्रतापगढ उम्र करीब 35 वर्ष ।

बरामदगी-

01 अदद मंगलसूत्र बड़ा (पीली धातु), 01 अदद मंगलसूत्र छोटा (पीली धातु), 01 अदद झुमका एक कान (अदद पीली धातु), 01 अदद अंगूठी (पीली धातु), 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 01 जोडी छागल (सफेद धातु), 01 अदद बिछिया (सफेद धातु) बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का0 अभिनव नारायण सिंह, म0का0 अंजू यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा गौवध के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को 01 राशि गौवंश व 01 राशि बछिया के साथ गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री अंकुर कैथवास के नेतृत्व में थाना

दिलीपपुर के उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा, हे का० हरिश्चन्द बिंद,का0 आशीष कुमार, म0उ0नि0 सारिका, म0का0 वन्दना कुमारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01अभियुक्त हरिकेश सिंह उर्फ गजन सिंह पुत्र स्व० चन्द्रबली सिंह नि० सरवरपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 50वर्ष को 01 राशि गौवंश व 01 राशि बछिया के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना दिलीपपुर पर मु0अ0स0-173/25 धारा 3/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु कुरता अधि0 व 325 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
हरिकेश सिंह उर्फ गजन सिंह पुत्र स्व० चन्द्रबली सिंह नि० सरवरपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा, हे का० हरिश्चन्द बिंद,का0 आशीष कुमार, म0उ0नि0 सारिका, म0का0 वन्दना कुमारी थाना दिलीपपुर पुलिस जनपद प्रतापगढ़।